# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

| तारीख हुक्म | मुकदमा नं.– 04/2026 प्रा.पत्र स्थानान्तरण<br>उनवान – अमरचन्द व अन्य बनाम भगवानसहाय व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.04.2026 | अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री उमेश कुमार गौड उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 श्री निर्मल कुमार शर्मा उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के यहां नामान्तरकरण संख्या 391 दिनांक 30.12.1967 जो कि सरपंच ग्राम पंचायत गीजगढ द्वारा खोला गया है। को निरस्त किये जाने के संबंध में अपील विचाराधीन है उक्त अपील 58 वर्ष के लम्बे अन्तराल के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। इतनी लम्बी अवधी के पश्चात् अपील प्रस्तुत करने का कोई युक्ति युक्त कारण भी अपील व प्रार्थना पत्र दफा 5 में अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम उक्त अपील मियाद के बिंदु पर सुना जाना आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली एवं उनके व्यवहार से प्रार्थीगण को ऐसा प्रतीत हुआ की पीठासीन अधिकारी मियाद के बिन्दु को बिना तय किये व सुनवाई किये अवैधानिक रूप से अपील का निस्तारण करने हेतु आतुर है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपीलान्ट को लाभ पहुंचाना चाहते है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन अपील नामान्तरकरण उनवानी भगवान सहाय आदि बनाम अमर चन्द आदि को नियमोचित निस्तारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश फरमावें।<br><br>अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय पर लगाये गये आरोप मनगढंत एवं निराधार है प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। फिर भी प्रकरण का शीघ्र निस्तारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो आपत्ति नहीं है।<br><br>अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के नियमोचित निस्तारण हेतु प्रकरण का अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु सहमत होना व्यक्त किया गया है।<br><br>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 01/2026 उनवानी भगवान सहाय बनाम अमरचन्द को न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय जिला दौसा से न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थानान्तरित किया जाता है। उप जिला कलक्टर सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान को भिजवाना सुनिश्चित करे। उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का शीघ्र नियमोचित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उप जिला कलक्टर सिकराय एवं उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>20/4/2026<br>( अरविन्द शर्मा )<br>अति. जिला कलक्टर ,दौसा | |

Scanned with OKEN Scanner